

कार्यालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, करौली (राज.)

क्रमांक- आदेश/रिमाण्ड/46

दिनांक- 27.08.2026

रिमाण्ड ड्यूटी बाबत आंशिक संशोधित कार्यालय आदेश

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-12 सपठित धारा-13 (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं देवेन्द्र कुमार, आर.जे.एस. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (लिंक अधिकारी), करौली दिनांक 29.08.2026 का माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा अवकाश घोषित किए जाने से उक्त माह की रिमाण्ड ड्यूटी बाबत पूर्व में जारी आदेश क्रमांक रिमाण्ड/41 दिनांक 31.07.2026 की निरन्तरता में आदेश पारित करता हूँ कि करौली जिला न्याय क्षेत्र के समस्त थानों की सीमा में उत्पन्न होने वाले आवश्यक फौजदारी मुकदमात में रिमाण्ड, जमानत, मृत्युकालिक कथन व अन्य आवश्यक फौजदारी कार्य के लिए कॉलम संख्या-2 में अंकित पीठासीन अधिकारीगण को निम्नानुसार अधिकृत किया जाता है:-

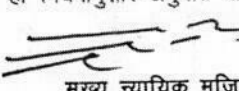
माह अगस्त 2026

क.सं.	नाम अधिकारी	पदनाम	ड्यूटी की दिनांक
01	02.	03.	04
01	श्री लितेन्द्र जीत कांटया RJS	न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोडाभीम	29.08.2026

नोट :- उक्तांकित दिनांक की रिमाण्ड ड्यूटी के अलावा इस कार्यालय का पूर्व आदेश क्रमांक रिमाण्ड/41 दिनांक 31.07.2026 यथावत रहेगा।

निर्देश:-

- अधिकृत किए गए पीठासीन अधिकारी नियत तिथि के पूर्ववर्ती कार्य दिवस के कार्यालय समय पश्चात से पश्चातवर्ती कार्य दिवस को कार्यालय समय पूर्व तक कार्य सम्पादित करेंगे।
- यदि किसी कारण से निर्धारित तिथि के अगले दिन राजकीय अवकाश घोषित हो जाता है तो वही पीठासीन अधिकारी उक्त कार्य करेंगे जो राजकीय अवकाश घोषित होने से पूर्व दिवस के लिए नियत किए गए थे।
- नियत किए दिवस को यदि किसी आकस्मिक घटना या अपरिहार्य कारणों से अधिकृत अधिकारी को असुविधा है तो वे किसी अन्य अधिकारी को सहमति प्राप्त कर इस कार्यालय को सूचित करेंगे तथा कार्यालय द्वारा संशोधित आदेश पारित होने के पश्चात ही नियमानुसार अनुमति प्राप्त कर मुख्यालय परित्याग करें।

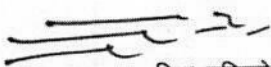

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
करौली
(लिंक अधिकारी)

क्रमांक- 1189-1194

दिनांक:- 27.08.2026

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, करौली।
- श्रीमान पुलिस अधीक्षक करौली को वास्ते सूचित करने समस्त आरक्षी केन्द्र
- संबंधित अधिकारी श्री लितेन्द्र जीत कांटया, आरजेएस न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोडाभीम
- सिस्टम अधिकारी करौली को इस निर्देश के साथ कि सभी अधिकारीगण की मेल आई डी पर आदेश भिजवाये एवं जिला न्यायालय करौली की वेबसाइट पर इस आदेश को अपलोड करें।
- प्रभारी अधिकारी, पुलिस कंट्रोल रूम, करौली।
- आदेश पत्रावली / नोटिस बोर्ड


मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
करौली
(लिंक अधिकारी)